(233)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्ड़ल, ग्वालियर (म.प्र.)

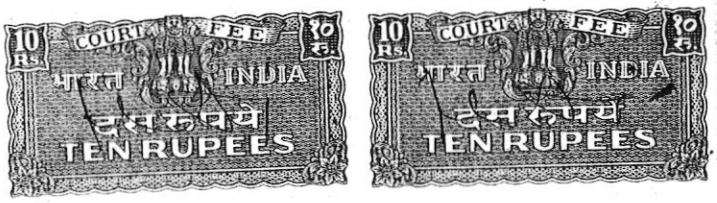

C.F.Rs 20/-

निग्रा० 1035 - III / 09

1. गोपाल शरण सिंह तनय स्व.श्री रविनंदन सिंह उम्र 30 वर्ष पेशा कृषि कार्य
2. कृष्ण प्रताप सिंह तनय स्व.श्री रविनंदन सिंह उम्र 35 वर्ष पेशा कृषि कार्य

दोनों निवासी ग्राम–तमरादेश, तह.व थाना गुढ़, जिला–रीवा (म.प्र.)

..........निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

1. शिव सिंह तनय श्री कमला सिंह निवासी ग्राम जरहा, तह.व थाना गुढ़, जिला–रीवा (म.प्र.)
2. लालमणि उर्फ उमाशंकर सिंह तनय श्री बल्देव सिंह निवासी ग्राम–गुढ, तह.व थाना गुढ़, जिला–रीवा (म.प्र.)

..............अनावेदक / रेस्पांडेंट

श्री आदित्येन्द्र तिवारी एडवोकेट द्वारा आज दि० 3-8-09 को प्रस्तुत।
अवर सचिव 3-8-09
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

3-8-09

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर कमिश्नर रीवा, संभाग–रीवा के प्रकरण क्रमांक 479 / अपील 94–95 आदेश दिनांक 28.07.09 के विरुद्ध

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.रा.भू. राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

अपील के आधार निम्न हैः–

अपील के सूक्ष्म तथ्य निम्न प्रकार हैः–

01. यह कि निगरानीकर्ता की पैतृक आराजी स्थित ग्राम तमरा देश आराजी नंबर 2045 रकवा 1.02 एकड़ के स्वत्व अधिपत्य व कब्जेदखल की भूमि पर आज तक निगरानीकर्ता निरन्तर कास्तकारी कर काविल दखील नामे साझाती कागजात अपीलार्थी के सगे चाचा रेस्पांडेंट क्रमांक 2 उमाशंकर सिंह के नाम व निगरानीकर्ता के पिता रविनंदन सिंह के नाम शासकीय खसरा दर्ज अभिलेख है। जिसमें तमरा देश स्थित आराजी का रखरखाव, खेती किसानी निगरानीकर्ता के पिता करते चले आ रहे हैं और ग्राम गुढ़ की आराजी पर उमाशंकर सिंह निगरानीकर्ता के पिता के सगे भाई ग्राम गुढ़ की आराजी में हिस्सा बांट न देने से सिविल प्रकरण सिविल न्यायालय रीवा में हिस्सा बांट का लंबित है। इसी द्वेष व ईर्ष्या से ग्रसित होकर उमाशंकर सिंह अनावेदक शिव सिंह से षणयंत्र कर 16–17 वर्ष पूर्ण फर्जी अपंजीकृत टीप जो आज तक प्रकरण में पेश नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय में पाउण्ड कराने का भी कोई कार्यवाही नहीं की गई उसी को हल्का पटवारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0**R.1035–III** / 09 जिला–रीवा

गोपाल शरण सिंह / शिव सिंह

(1)	(2)	(3)
22.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	